



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **SEPTEMBER 17, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com

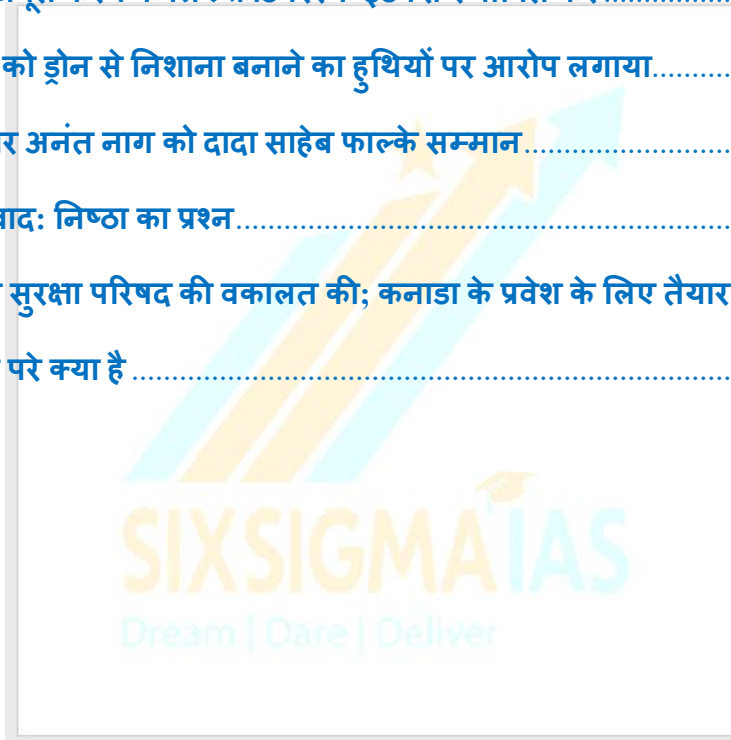


ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. UPI मात्रा पर मर्चेट डिस्काउंट रेट (MDR) की पुनर्वापसी का प्रभाव	2
2. क्या मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर हो रही है?	4
3. न्यूजीलैंड की संसद ने भारत मुक्त व्यापार समझौते को पारित किया.....	5
4. स्पेस स्टार्टअप्स की नई फसल फंडिंग की तलाश में आई.....	7
5. वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो के लिए नियामक व्यवस्था को खारिज किया	8
6. RBI ने VRRR नीलामी के जरिए ₹2.9 ट्रिलियन का अवशोषण किया	10
7. निवेशक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रॉड रिस्क इंडेक्स स्थापित करें	11
8. सऊदी अरब ने मक्का को ड्रोन से निशाना बनाने का हथियारों पर आरोप लगाया.....	13
9. कन्नड़ फिल्म कलाकार अनंत नाग को दादा साहेब फाल्के सम्मान	14
10. सीमाओं से परे राष्ट्रवाद: निष्ठा का प्रश्न.....	15
11. ईयू प्रमुख ने यूरोपीय सुरक्षा परिषद की वकालत की; कनाडा के प्रवेश के लिए तैयार.....	17
12. भारत के E20 पुंश से परे क्या है	18

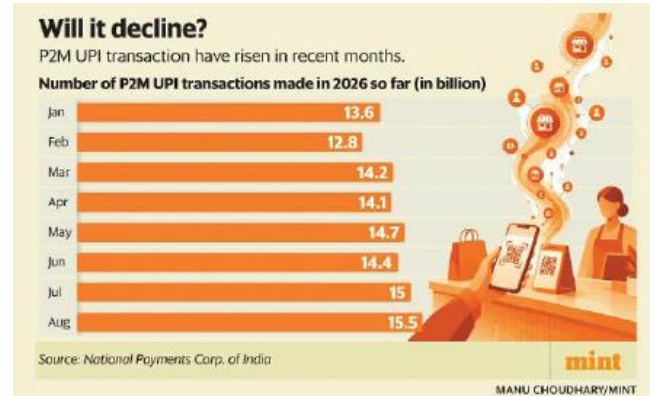


1. UPI मात्रा पर मर्चेट डिस्काउंट रेट (MDR) की पुनर्वापसी का प्रभाव

मुख्य अंश और सारांश

- **चयनित MDR की पुनर्वापसी:** नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने डिजिटल भुगतान एग्रीगेटरों और बैंकों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल बनाने के उद्देश्य से विशिष्ट पर्सन-टू-मर्चेट (P2M) UPI लेनदेन पर मर्चेट डिस्काउंट रेट (MDR) को चुनिंदा रूप से फिर से लागू किया है।
- **कुल मात्रा पर न्यूनतम प्रभाव:** वित्त मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार, कुल लेनदेन की मात्रा महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है क्योंकि कुल UPI लेनदेन का केवल लगभग 4% ही इस शुल्क के लिए पात्र है।

- **मूल छूट सुरक्षित:** सभी पर्सन-टू-पर्सन (P2P) स्थानांतरण, ₹2,000 तक के P2M लेनदेन, आवर्ती ऑटो-डेबिट भुगतान (UPI AutoPay), और QR कोड के माध्यम से मासिक ₹1 लाख तक प्राप्त करने वाले सूक्ष्म-व्यापारी (माइक्रो-मर्चेन्ट) MDR से पूरी तरह मुक्त रहेंगे।
- **क्षेत्र-विशिष्ट सीमित (कैप्ड) संरचना:** रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन, उपयोगिताओं (यूटिलिटीज), शिक्षा और कृषि जैसे आवश्यक क्षेत्रों पर ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर ₹5 का एक समान (फ्लैट) MDR लगता है, जबकि प्रतिभूतियों (सिक्क्योरिटीज) और म्यूचुअल फंड भुगतानों पर 0.02% MDR लगता है जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्निवेश और वृद्धि:** एकत्रित MDR राजस्व का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास, लोड क्षमता विस्तार, धोखाधड़ी रोकथाम, और डिजिटल नेटवर्क नवाचार को वित्तपोषित करने के लिए किया जाएगा, जिसमें से 5% विशेष रूप से छोटे व्यापारियों के लिए QR बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवंटित किया जाएगा।
- **उपभोक्ता संरक्षण और लागत अवशोषण:** नकद-प्रबंधन में बचत के कारण व्यापारियों द्वारा इन परिचालन शुल्कों को स्वयं वहन (अवशोषित) करने की उम्मीद है, क्योंकि NPCI भुगतान ऐप प्रदाताओं को अंतिम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म शुल्क लगाने से रोकता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR):** इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन चैनलों की सेवा प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों और पेमेंट गेटवे द्वारा व्यापारियों पर लगाया जाने वाला एक प्रसंस्करण शुल्क (प्रोसेसिंग फीस)।
- **पर्सन-टू-मर्चेन्ट (P2M) लेनदेन:** किसी वाणिज्यिक व्यावसायिक इकाई से वस्तुएं या सेवाएं खरीदने के लिए किसी व्यक्तिगत खुदरा उपभोक्ता द्वारा निष्पादित एक डिजिटल भुगतान लेनदेन।
- **UPI AutoPay:** यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक ऐसी सुविधा जो उपयोगकर्ताओं को नियमित उपयोगिता और सदस्यता भुगतानों के लिए आवर्ती स्थायी निर्देशों (रिकरिंग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस) को सक्षम करने की अनुमति देती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को NPCI के परिचालन जनादेशों सहित खुदरा भुगतान समाशोधन गृहों (रिटेल पेमेंट क्लियरिंगहाउस) को अधिकृत, विनियमित और पर्यवेक्षित करने का अधिकार देता है।
- **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269SU:** कैशलेस आर्थिक लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च-टर्नओवर वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से डिजिटल भुगतान सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** डिजिटल चेकआउट प्रक्रियाओं के दौरान खुदरा उपभोक्ताओं पर अनधिकृत छिपे हुए सरचार्ज लगाने से व्यापारियों को रोककर अनुचित व्यापार प्रथाओं का निवारण करता है।

निष्कर्ष उच्च-मूल्य वाले लेनदेन के एक छोटे से हिस्से पर एक संरचित MDR ढांचे को फिर से लागू करना उपयोगकर्ता समावेशन के साथ डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे की स्थिरता को संतुलित करता है। सुरक्षा और मर्चेट इंफ्रास्ट्रक्चर में MDR राजस्व का पुनर्निवेश भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक लचीलेपन और नवाचार को सुनिश्चित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III (अर्थव्यवस्था):** भारतीय अर्थव्यवस्था, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), मौद्रिक नीति, वित्तीय समावेशन, और फिनटेक उद्योग नियमन।
- **प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र (Prelims Focus):** भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत RBI की वैधानिक शक्तियां, NPCI की संस्थागत संरचना, और MDR राजस्व वितरण का तंत्र।

2. क्या मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर हो रही है?

मुख्य अंश और सारांश

- **हेडलाइन और क्षेत्रीय मेट्रिक्स में उछाल:** भारत की हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त 2026 में बढ़कर 4.8% हो गई, जो खाद्य मुद्रास्फीति के 6.0% पर पहुंचने, कोर मुद्रास्फीति के 4.3% तक पहुंचने, और कीमती धातुओं को छोड़कर कोर मुद्रास्फीति के 3.1% तक बढ़ने से प्रेरित थी।
- **आपूर्ति के झटके और जलवायु व्यवधान:** सामान्य वर्षा में 15% की कमी के कारण खाद्य मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है, जबकि पेट्रोल (7.5%), डीजल (8.4%), एलपीजी (5.3%), और ठोस ईंधन (7.8%) में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं।
- **भू-राजनीतिक कच्चे तेल में उछाल:** पश्चिमी एशियाई भू-राजनीतिक जोखिमों के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमतें \$108 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं, जिससे सितंबर के मध्य तक भारत की औसत कच्चे तेल की बास्केट कीमत \$109.80 प्रति बैरल हो गई।

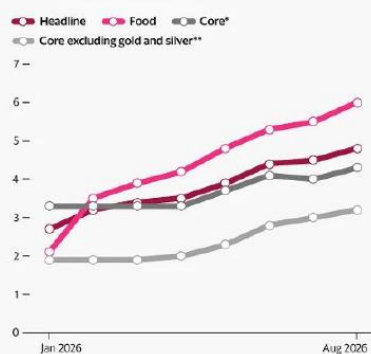
- **प्रतिकूल बेस इफेक्ट का खतरा:** अनुमानों से संकेत मिलता है कि निरंतर क्रमिक गति के साथ प्रतिकूल सांख्यिकी बेस इफेक्ट के कारण अक्टूबर-नवंबर तक हेडलाइन मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा का उल्लंघन कर सकती है।

- **मौद्रिक नीति का रुख:** मजबूत जीडीपी वृद्धि (FY27 की Q1 में 7.8%) के साथ-साथ लगातार आपूर्ति-पक्ष के झटकों ने विश्लेषकों को अक्टूबर से शुरू होने वाली RBI की मौद्रिक नीति समिति द्वारा संभावित रेपो दर वृद्धि चक्र की भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरित किया है।

Rising food and fuel costs, an unfavourable base effect, and recent flare-up in crude oil prices have prompted economists to project a repo rate hike starting October.

By all measures, inflation is rising rapidly amid the Iran war and low rainfall

Year-on-year retail inflation (in %)

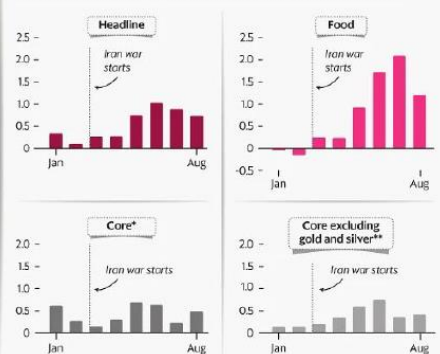


*Excludes food, electricity, gas and other fuel groups. **Excludes food, electricity, gas and other fuel groups, along with gold/diamond/platinum/silver jewellery.

Source: CMIE, Mint calculations

On a sequential basis, there has been a consistent firming up of prices

Month-on-month change in the consumer price index (in %), 2026



mint

- **कोर मूल्य अंतरण (ट्रांसमिशन):** ठोस घरेलू मांग की स्थितियों के तहत बढ़ती इनपुट और ईंधन लागत को तेजी से खुदरा उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है, जिससे अनियंत्रित घरेलू मुद्रास्फीति की उम्मीदों का जोखिम पैदा हो रहा है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **हेडलाइन मुद्रास्फीति:** संपूर्ण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) बास्केट से प्राप्त कुल मुद्रास्फीति का आंकड़ा, जिसमें खाद्य और ऊर्जा जैसे अस्थिर घटक शामिल हैं।
- **कोर मुद्रास्फीति:** मूल्य संचलन का एक उपाय जो अंतर्निहित दीर्घकालिक मूल्य प्रवृत्तियों को कैप्चर करने के लिए अस्थिर खाद्य और ऊर्जा समूहों को बाहर करता है।
- **बेस इफेक्ट (आधार प्रभाव):** वर्तमान मुद्रास्फीति की दर की गणना पर पिछले वर्ष की संबंधित अवधि के मूल्य स्तर का विकृत प्रभाव।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (धारा 45ZB):** मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए नीतिगत दरों को निर्धारित करने का कार्य सौंपे गए मौद्रिक नीति समिति (MPC) की स्थापना के लिए वैधानिक आधार प्रदान करता है।
- **लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढांचा:** RBI अधिनियम के तहत एक कानूनी जनादेश जो केंद्रीय बैंक को 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा और 2% की निचली सीमा के साथ CPI मुद्रास्फीति को 4% पर बनाए रखने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 246 सहपठित संघ सूची की प्रविष्टि 36:** संसद को मुद्रा, सिक्का ढलाई, लीगल टेंडर, विदेशी मुद्रा, और केंद्रीय बैंकिंग नीति पर विशेष अधिकार प्रदान करता है।

निष्कर्ष बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव और घरेलू कृषि संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियां CPI मुद्रास्फीति को केंद्रीय बैंक की 6% की सीमा से पार ले जाने की धमकी दे रही हैं। दर समायोजन के माध्यम से निर्णायक मौद्रिक पुनर्गठन, लक्षित राजकोषीय आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन के साथ संयुक्त रूप से, दीर्घकालिक मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करने और समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकॉनॉमिक) वृद्धि को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III (अर्थव्यवस्था):** भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति की गतिशीलता, मौद्रिक नीति समिति (MPC) के संचालन, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, और समष्टि आर्थिक स्थिरता।
- **प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र (Prelims Focus):** हेडलाइन और कोर CPI के बीच अंतर, RBI अधिनियम की धारा 45ZB के तहत वैधानिक जनादेश, FIT ढांचा लक्ष्य, और वैश्विक कच्चे तेल की कीमत के प्रभाव का तंत्र।

3. न्यूजीलैंड की संसद ने भारत मुक्त व्यापार समझौते को पारित किया

मुख्य अंश और सारांश

- **विधायी अनुसमर्थन:** न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ अपने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अनुसमर्थित करने के लिए सक्षम कानून को 93-29 वोटों से पारित कर दिया, जिससे यह ऐतिहासिक समझौता परिचालन के करीब पहुंच गया।
- **कार्यान्वयन की समय-सीमा:** भारतीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने त्वरित कार्यान्वयन के लिए सक्रिय घरेलू कदमों की पुष्टि की, जिसमें अधिकारी समझौते के प्रभावी होने के लिए अक्टूबर के दूसरे उत्तरार्ध को लक्षित कर रहे हैं।
- **शुल्क उन्मूलन और व्यापार प्रतिबद्धताएं:** न्यूजीलैंड 100% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा, जबकि भारत 70% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ उदारीकरण की पेशकश करता है (जो द्विपक्षीय व्यापार मूल्य के लगभग 95% को कवर करता है)। भारत में न्यूजीलैंड के 57% निर्यातों पर तत्काल शुल्क हटाने का नियम लागू होता है, जो कार्यान्वयन के बाद बढ़कर 95% हो जाएगा।
- **द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य:** इस समझौते का लक्ष्य 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है, जो 2024 में \$2.4 बिलियन तक पहुंचे व्यापार आंकड़ों पर आधारित है, हालांकि 2025-26 में व्यापार सिकुड़कर \$1.15 बिलियन रह गया था।
- **निवेश प्रतिबद्धताएं:** न्यूजीलैंड ने विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, और प्रौद्योगिकी नवाचार को लक्षित करते हुए 15 वर्षों में भारत में \$20 बिलियन के प्रत्यक्ष निवेश की सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है।
- **क्षेत्रीय कवरेज और संरक्षण:** संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों, विशेष रूप से अधिकांश डेयरी उत्पादों के लिए सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए, भारतीय कपड़ा, चमड़ा, रत्न, इंजीनियरिंग सामान और फार्मास्यूटिकल्स के लिए निर्यात की संभावनाओं को बढ़ावा देता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** दो या दो से अधिक देशों के बीच एक अधिमन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि जो वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ, आयात कोटा, और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करती है या समाप्त करती है।
- **टैरिफ लाइन:** राष्ट्रीय टैरिफ अनुसूची में एक विशिष्ट उत्पाद वर्गीकरण कोड जिसका उपयोग सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा आयात टैरिफ और ड्यूटी दरें लागू करने के लिए किया जाता है।
- **द्विपक्षीय व्यापार:** दो संप्रभु राष्ट्रों के बीच सीधे वस्तुओं, सेवाओं, और पूंजी का आर्थिक आदान-प्रदान।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 253:** विदेशी राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है।
- **संघ सूची की प्रविष्टि 14 (सातवीं अनुसूची):** विदेशी देशों के साथ संधियों और समझौतों को करने और उन्हें लागू करने का अनन्य विधायी अधिकार केंद्र सरकार को सौंपती है।
- **सीमा शुल्क अधिनियम, 1962:** द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत अधिमन्य आयात शुल्क दरों और उत्पत्ति के नियमों को अधिसूचित करने की वैधानिक शक्तियां प्रदान करता है।

निष्कर्ष भारत-न्यूजीलैंड FTA का अनुसमर्थन भारत की रणनीतिक व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो घरेलू डेयरी और कृषि उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ प्रमुख श्रम-गहन विनिर्माण क्षेत्रों में वाणिज्यिक विस्तार को संतुलित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारत से जुड़े द्विपक्षीय समझौते, विदेश व्यापार नीति, और वैश्विक भू-राजनीतिक साझेदारियां।
- **GS पेपर III (अर्थव्यवस्था):** बाह्य व्यापार, निर्यात विविधीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), और कृषि जैसे संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों का संरक्षण।

4. स्पेस स्टार्टअप्स की नई फसल फंडिंग की तलाश में आई

मुख्य अंश और सारांश

- **बढ़ती फंडिंग गति:** ट्रैक्सन (Tracxn) डेटा के अनुसार, भारतीय स्पेसटेक स्टार्टअप्स ने 2026 में \$331 मिलियन जुटाए, जो 2025 में जुटाए गए कुल \$210 मिलियन से अधिक है।
- **अगली श्रेणी की कंपनियों का उद्भव:** स्काईरूट एयरोस्पेस और पिक्सेल जैसे शुरुआती अग्रदूतों से आगे, स्पेसटेक फर्मों की एक नई लहर—जिसमें शिशिर रडार, सनयार्क स्पेस, और पियरसाइट शामिल हैं—विकास पूंजी (ग्रोथ कैपिटल) की सक्रिय रूप से तलाश कर रही है।
- **पूंजी का समेकन:** सौदों की संख्या 69 से घटकर 37 हो गई, जो यह दर्शाती है कि बड़े फंडिंग चेक परिपक्व स्टार्टअप के एक छोटे समूह के बीच केंद्रित हैं।
- **क्षेत्र-विशिष्ट नवाचार:** सनयार्क स्पेस लो-अर्थ ऑर्बिट PNT (पोजीशनिंग, नेविगेशन, और टाइमिंग) और संचार तारामंडल विकसित कर रहा है, जबकि पियरसाइट समुद्री निगरानी को लक्षित करता है और शिशिर रडार सिंथेटिक एपर्चर रडार सिस्टम विकसित करता है।
- **शीर्ष पर पूंजी संकेंद्रण:** स्काईरूट एयरोस्पेस (\$1 बिलियन+ मूल्यांकन वाला यूनिकॉर्न) और पिक्सेल (\$400 मिलियन के मूल्यांकन पर \$100 मिलियन का राउंड) 2026 में कुल क्षेत्रीय फंडिंग के लगभग आधे हिस्से के लिए जिम्मेदार थे।
- **लंबे चक्रों पर निवेशकों की सतर्कता:** लंबी गर्भधारण अवधि (जेस्टेशन पीरियड), उच्च पूंजी तीव्रता, और व्यावसायिक व्यवहार्यता से पहले मूल्यांकन में सुधार के जोखिम के कारण वृद्धि निवेशक सतर्क बने हुए हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **स्पेसटेक पारिस्थितिकी तंत्र:** अंतरिक्ष अनुसंधान, प्रक्षेपण यान (लॉन्च व्हीकल), उपग्रह निर्माण, डाउनस्ट्रीम इमेजरी विश्लेषण, और अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता में शामिल वाणिज्यिक उद्यमों को शामिल करने वाला क्षेत्र।

- **PNT (पोजीशनिंग, नेविगेशन, और टाइमिंग):** नागरिक और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए सटीक स्थान, नेविगेशन मार्ग, और परमाणु घड़ी तुल्यकालन (एटॉमिक क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन) सेवाएं प्रदान करने वाला उपग्रह आधारित ढांचा।
- **ग्रोथ कैपिटल (विकास पूंजी):** वाणिज्यिक संचालन को स्केल करने, क्षमता का विस्तार करने, या कक्षीय हार्डवेयर को तैनात करने के लिए स्थापित स्टार्टअप्स को प्रदान की जाने वाली इक्विटी फंडिंग।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** गैर-सरकारी संस्थानों (NGEs) को प्रक्षेपण प्रणाली, उपग्रह संचार, और डेटा सेवाओं सहित एंड-टू-एंड अंतरिक्ष गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति देने वाला संस्थागत ढांचा।
- **IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र):** निजी अंतरिक्ष उद्यमों को विनियमित, अधिकृत, और प्रोत्साहित करने वाला अंतरिक्ष विभाग के तहत एकल-खिड़की स्वायत्त एजेंसी।
- **अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI नीति (2024 संशोधन):** अंतरिक्ष घटकों में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उपग्रह निर्माण/डेटा के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 74%, और प्रक्षेपण यान के लिए 49% की अनुमति देता है।

निष्कर्ष प्राथमिक बाजार के अग्रदूतों से परे निजी वित्तपोषण का विस्तार भारत की स्पेसटेक क्षमताओं में निवेशकों के परिपक्व होते विश्वास का संकेत देता है। IN-SPACe और 100% FDI मंजूरी के माध्यम से निरंतर नीतिगत समर्थन इन डीपटेक उद्यमों के लिए लंबी गर्भधारण अवधि को नेविगेट करने और वैश्विक वाणिज्यिक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी):** प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास, अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भागीदारी, और डीपटेक स्टार्टअप्स का विकास।
- **प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र (Prelims Focus):** IN-SPACe और NSIL का जनादेश, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 संशोधनों के तहत FDI सीमाएं, और लो-अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के अनुप्रयोग।

5. वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो के लिए नियामक व्यवस्था को खारिज किया

मुख्य अंश और सारांश

- **नियामक ढांचे की अस्वीकृति:** वित्त मंत्रालय ने निजी क्रिप्टोकॉरेसी के लिए एक विशिष्ट नियामक व्यवस्था स्थापित करने से इनकार कर दिया है, यह बताते हुए कि विनियमन इस क्षेत्र को अनुचित वैधता प्रदान कर सकता है और खुदरा निवेशकों के लिए सुरक्षा का एक झूठा अहसास पैदा कर सकता है।



- **RBI के डिजिटल रुपये की ओर बदलाव:** मंत्रालय ने वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति को सूचित किया कि वह कल्याणकारी लाभों के वितरण के लिए इसका उपयोग करने के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) या ई-रुपये को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देगा।
- **अंतर्निहित नियामक चुनौतियां:** राज्य-नियंत्रित वित्तीय प्रणालियों के बाहर क्रिप्टो लेनदेन की अज्ञात (अनाम) प्रकृति के कारण, प्रभावी नियामक निगरानी स्थापित करना मौलिक विरोधाभास प्रस्तुत करता है, क्योंकि गतिविधियां अक्सर नियामक पहुंच से परे विकेंद्रीकृत, गैर-संरक्षित (नॉन-कस्टोडियल) व्यवस्थाओं की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं।
- **क्रिप्टो होल्डिंग मूल्य में संकुचन:** मई 2026 तक केवाईसी-सत्यापित (KYC-verified) क्रिप्टो खातों की संख्या बढ़कर 39.3 मिलियन (अप्रैल 2025 में 36 मिलियन से) होने के बावजूद, कुल अनुमानित होल्डिंग मूल्य ₹34,000 करोड़ (\$4.5 बिलियन) से महत्वपूर्ण रूप से घटकर ₹20,436 करोड़ (\$2.4 बिलियन) हो गया।
- **प्रति खाता कम औसत होल्डिंग:** मई 2026 तक, भारत में पंजीकृत केवाईसी-सत्यापित खातों में औसत क्रिप्टोकॉर्सेसी होल्डिंग घटकर लगभग ₹5,000 रह गई।
- **औपचारिक मान्यता के बिना कराधान:** जबकि निजी क्रिप्टोकॉर्सेसी कानूनी निविदा (लीगल टेंडर) के रूप में अमान्य बनी हुई हैं, सरकार आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों (VDAs) से प्राप्त सभी लाभों पर 30% का एक समान (फ्लैट) कर लगाना जारी रखती है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **आभासी डिजिटल परिसंपत्तियां (VDAs):** भारतीय कर कानूनों के तहत परिभाषित एक व्यापक कानूनी वर्गीकरण, जिसमें क्रिप्टोकॉर्सेसी, नॉन-फंजिबल टोकन (NFTs), और अन्य डिजिटल क्रिप्टोग्राफिक टोकन शामिल हैं।
- **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC):** किसी देश के केंद्रीय बैंक (जैसे कि RBI का ई-रुपया) द्वारा सीधे जारी और समर्थित फिएट मुद्रा का एक संप्रभु डिजिटल रूप।
- **नॉन-कस्टोडियल व्यवस्थाएं:** विकेंद्रीकृत वॉलेट तंत्र जहां उपयोगकर्ता केंद्रीय बिचौलियों पर निर्भर हुए बिना सीधे निजी चाबियां (प्राइवेट कीज़) अपने पास रखते हैं, जिससे बाहरी निगरानी कठिन हो जाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **आयकर अधिनियम, 1961 (धारा 115BBH और धारा 194S):** VDA स्थानान्तरण से होने वाली आय पर 30% कर दर के साथ-साथ निर्दिष्ट क्रिप्टो लेनदेन पर 1% स्रोत पर कर कटौती (TDS) को अनिवार्य करता है।
- **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002:** VDA सेवा प्रदाताओं और एक्सचेंजों को वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) के साथ अनिवार्य पंजीकरण और सख्त KYC/AML अनुपालन के अधीन करता है।
- **अनुच्छेद 246 सहपठित संघ सूची की प्रविष्टि 36:** संसद को मुद्रा, कानूनी निविदा, विदेशी मुद्रा, और केंद्रीय बैंकिंग ढांचे पर विशेष अधिकार प्रदान करता है।

निष्कर्ष उच्च पूंजीगत लाभ कराधान और धन शोधन रोधी अनुपालन को बनाए रखते हुए औपचारिक विनियमन को रोके रखकर, भारत का रुख सट्टा आधारित खुदरा क्रिप्टो भागीदारी को हतोत्साहित करता है। संप्रभु ई-रुपये की ओर बढ़ना घरेलू वित्तीय स्थिरता की रक्षा करते हुए डिजिटल वित्तीय नवाचार सुनिश्चित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III (अर्थव्यवस्था एवं विज्ञान/प्रौद्योगिकी):** आभासी डिजिटल परिसंपत्तियां (VDAs), सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC), मौद्रिक नीति, फिनटेक, और समष्टि-वित्तीय (मैक्रो-फाइनेंशियल) स्थिरता जोखिम।
- **प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र (Prelims Focus):** VDA सेवा प्रदाताओं पर लागू PMLA के प्रावधान, धारा 115BBH कर दरें, निजी क्रिप्टो बनाम CBDC के बीच अंतर, और FIU-IND रिपोर्टिंग नियम।

6. RBI ने VRRR नीलामी के जरिए ₹2.9 ट्रिलियन का अवशोषण किया

मुख्य अंश और सारांश

- **व्यापक तरलता अवशोषण:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लगातार बनी अतिरिक्त तरलता को समाप्त करने के लिए दो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामियों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से ₹2.90 ट्रिलियन अवशोषित किए।
- **नीलामी का प्रदर्शन:** पहली नीलामी में, RBI ने 5.24% की भारित औसत दर पर ₹3.17 ट्रिलियन मूल्य की बोलियों के मुकाबले ₹2.50 ट्रिलियन स्वीकार किए। दूसरी नीलामी में ₹1 ट्रिलियन की अधिसूचना के मुकाबले ₹40,302 करोड़ मूल्य की बोलियों की पूरी स्वीकृति देखी गई।
- **अधिशेष का पैमाना:** भारी विदेशी मुद्रा प्रवाह स्वैप और सरकारी खर्च से प्रेरित होकर, सितंबर के मध्य तक प्रणालीगत बैंकिंग तरलता लगभग ₹9.85 ट्रिलियन के भारी अधिशेष पर थी।
- **बाजार दरों को संरेखित करना:** बार-बार VRRR परिचालन आयोजित करने का प्राथमिक उद्देश्य रातोंरात मनी मार्केट दरों को बेंचमार्क रेपो दर के अधिक करीब लाना है।
- **ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) बिक्री:** VRRR के पूरक के रूप में, RBI ने संरचनात्मक तरलता को प्रबंधित करने के लिए तीन किस्तों में कुल ₹1 ट्रिलियन की सरकारी प्रतिभूतियों की OMO बिक्री की घोषणा की।
- **तरलता में वृद्धि के कारक:** FCNR(B) जमा जुटाव से पूंजी प्रवाह, इसके बाद RBI द्वारा डॉलर-रुपया स्वैप, और महीने के अंत में सरकारी कल्याणकारी भुगतानों ने बैंक तरलता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया।

आवश्यक परिभाषाएं

- **वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR):** केंद्रीय बैंकों द्वारा बाजार-निर्धारित परिवर्तनीय ब्याज दरों पर वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक अधिशेष निधियों को अवशोषित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरलता प्रबंधन उपकरण।
- **ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO):** धन की आपूर्ति और प्रणालीगत तरलता को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री।

- **प्रणालीगत तरलता अधिशेष (सिस्टमिक लिक्विडिटी सरप्लस):** एक ऐसी बाजार स्थिति जहां वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई कुल नकद आरक्षित निधि उनकी तत्काल नियामक और परिचालन आवश्यकताओं से अधिक हो जाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934:** मूल्य और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए खुले बाजार के परिचालन, रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन निष्पादित करने के लिए धारा 17 के तहत RBI को वैधानिक शक्ति प्रदान करता है।
- **तरलता समायोजन सुविधा (LAF) ढांचा:** ब्याज दर गलियारे और तरलता प्रबंधन उपकरणों को निर्धारित करने वाले RBI नियमों द्वारा शासित परिचालन दिशानिर्देश।
- **अनुच्छेद 246 सहपठित संघ सूची की प्रविष्टि 36:** केंद्रीय बैंकिंग, मुद्रा, और मौद्रिक नियंत्रण पर कानूनी क्षेत्राधिकार सख्ती से संसद और केंद्र सरकार को सौंपता है।

निष्कर्ष VRRR और OMO बिक्री के माध्यम से सक्रिय तरलता प्रबंधन गैर-संरक्षित मनी मार्केट अस्थिरता को रोकने के लिए RBI के दूरदर्शी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। संरचनात्मक अधिशेष को अवशोषित करना संभावित मुद्रास्फीति जोखिमों को सीमित करते हुए प्रभावी मौद्रिक नीति संचालन को सुनिश्चित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III (अर्थव्यवस्था):** मौद्रिक नीति ढांचा, तरलता समायोजन सुविधा (LAF), मुद्रास्फीति प्रबंधन, और RBI के तरलता प्रबंधन उपकरण।
- **प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र (Prelims Focus):** VRRR बनाम रेपो दरों का तंत्र, RBI अधिनियम 1934 के तहत वैधानिक आधार, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और मनी मार्केट पर प्रणालीगत तरलता का प्रभाव।

7. निवेशक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रॉड रिस्क इंडेक्स स्थापित करें

मुख्य अंश और सारांश

- **फ्रॉड रिस्क इंडेक्स का प्रस्ताव:** SEBI के पूर्व अध्यक्ष जी.एन. बाजपेयी और NFRA के पूर्व सदस्य प्रवीण तिवारी खुदरा और संस्थागत निवेशकों को कॉर्पोरेट प्रशासन जोखिमों का मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए एक निष्पक्ष, समग्र फ्रॉड रिस्क इंडेक्स (FRI) बनाने की वकालत करते हैं।
- **कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की आर्थिक लागत:** अनुमानों से संकेत मिलता है कि धोखाधड़ी के कारण प्रतिवर्ष संगठनात्मक राजस्व का लगभग 5% नुकसान होता है, जिससे पूंजी बाजारों में जनता का विश्वास घटता है और पूंजी निर्माण बाधित होता है।
- **IBC वास्तुकला का दुरुपयोग:** IBCI का एक पत्र इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे बुरे तत्व अंतर्निहित वित्तीय धोखाधड़ी से ध्यान भटकाने और कानूनी रास्ते को रोकने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) ढांचे का दुरुपयोग करते हैं।

- **क्रेडिट रेटिंग से भिन्नता:** पारंपरिक क्रेडिट रेटिंग, जो मुख्य रूप से अल्पकालिक ऋण चुकाने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करती हैं, के विपरीत FRI तीव्र संपत्ति वृद्धि, प्रवर्तक शेयरधारिता, संबंधित-पक्ष लेनदेन (रिलेटेड-पार्टी ट्रांजेक्शन), और लेखा परीक्षक योग्यताओं जैसे संरचनात्मक धोखाधड़ी जोखिमों का मूल्यांकन करता है।
- **बहु-एजेंसी डेटा एकीकरण:** प्रस्तावित सूचकांक निष्पक्ष जोखिम स्कोर उत्पन्न करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, SEBI, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, और स्टॉक एक्सचेंजों से कॉर्पोरेट फाइलिंग डेटा एकत्र करेगा।
- **बाजार अनुशासन को सशक्त बनाना:** एक एकल-संख्या वाला FRI एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो कॉर्पोरेट बोर्डों को स्व-सुधारात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य करता है, जबकि धोखाधड़ी की संभावना वाली संस्थाओं को सार्वजनिक पूंजी तक पहुंचने से रोकता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **फ्रॉड रिस्क इंडेक्स (FRI):** किसी फर्म के भीतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विफलता, वित्तीय गलत बयानी, और संभावित धोखाधड़ी जोखिमों के संकेतकों का मूल्यांकन और एकीकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक मात्रात्मक मूल्यांकन उपकरण।
- **भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI):** भारत में दिवाला कार्यवाही, वित्तीय टर्नअराउंड तंत्र, और दिवालियापन पेशेवरों की देखरेख करने वाला वैधानिक नियामक।
- **संबंधित-पक्ष लेनदेन (RPT):** किसी कंपनी और उसके व्यावसायिक सहयोगियों, निदेशकों या प्रमुख शेयरधारकों के बीच वाणिज्यिक लेनदेन या वित्तीय हस्तांतरण, जिसमें धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियामक निगरानी की आवश्यकता होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 447):** कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के लिए सजा को परिभाषित करता है, सख्त आपराधिक देनदारियों, मौद्रिक दंड, और गैर-जमानती प्रवर्तन मानकों की स्थापना करता है।
- **SEBI (LODR) विनियम, 2015:** खुदरा निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए विस्तृत प्रकटीकरण मानकों, ऑडिट समिति की मंजूरी, और शासन मानदंडों को अनिवार्य करता है।
- **राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA):** सार्वजनिक हित की संस्थाओं में लेखांकन मानकों को लागू करने और लेखा परीक्षक अनुपालन की देखरेख के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के तहत स्थापित।

निष्कर्ष एक मानकीकृत फ्रॉड रिस्क इंडेक्स की स्थापना पूंजी बाजारों में खुदरा निवेशकों द्वारा सामना की जाने वाली सूचना विषमता को दूर करती है। नियामक डेटा को कार्रवाई योग्य प्रारंभिक-चेतावनी स्कोर में परिवर्तित करके, भारत कॉर्पोरेट पारदर्शिता में सुधार कर सकता है, सार्वजनिक निवेश की रक्षा कर सकता है, और दीर्घकालिक पूंजी निर्माण को बढ़ावा दे सकता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III (अर्थव्यवस्था):** भारतीय अर्थव्यवस्था, पूंजी बाजार में सुधार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता, और SEBI, IBBI, और NFRA जैसी नियामक संस्थाओं की भूमिका।
- **प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र (Prelims Focus):** कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वैधानिक शक्तियां, NFRA जनादेश, IBBI ढांचा परिचालन, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस संकेतकों के प्रमुख मानदंड।

8. सऊदी अरब ने मक्का को ड्रोन से निशाना बनाने का हुथियों पर आरोप लगाया

मुख्य अंश और सारांश

- **मक्का पर नाकाम ड्रोन हमला:** सऊदी अरब ने यमन के ईरान समर्थित हुथी विद्रोहियों पर पवित्र शहर मक्का को निशाना बनाकर ड्रोन हमला करने का आरोप लगाया और इस स्थल की पवित्रता को सख्ती से गैर-बातचीत योग्य "रेड लाइन" घोषित किया।
- **हुथी की अस्वीकृति:** हुथी अधिकारियों ने आरोपों से इनकार किया और सऊदी दावों को यमनी क्षेत्र पर व्यापक हवाई अभियानों को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया एक पुराना झूठ कहा।
- **समुद्री नाकाबंदी की घोषणा:** क्षेत्रीय शत्रुता को बढ़ाते हुए, हुथियों ने यमन के तट के साथ प्रमुख हिस्सों पर नियंत्रण हासिल करने के बाद लाल सागर में सऊदी जहाजों के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी की घोषणा की।
- **रणनीतिक अड़चन पर नियंत्रण:** बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास स्थिति स्थापित करके, हुथी बल सीधे एक महत्वपूर्ण समुद्री गलियारे को खतरे में डालते हैं जो दुनिया के महत्वपूर्ण तेल शिपमेंट के लिए जिम्मेदार है।
- **यौगिक वैश्विक ऊर्जा तनाव:** लाल सागर में चल रहे समुद्री व्यवधान, होर्मुज जलडमरूमध्य में जोखिमों के साथ मिलकर, वैश्विक तेल पारगमन को बाधित कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की अस्थिरता को बढ़ा रहे हैं।
- **राजनीतिक पुनर्गठन:** जहां सऊदी अरब व्यापक सुरक्षा सहायता चाहता है, वहीं तुर्की और पाकिस्तान जैसे प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगियों ने संयम और राजनयिक समाधान की वकालत करते हुए राजनयिक एकजुटता व्यक्त की है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य:** लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ने वाला एक रणनीतिक तंग मार्ग (चोक प्वाइंट), जो वैश्विक ऊर्जा और व्यापार शिपमेंट के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग के रूप में कार्य करता है।
- **होर्मुज जलडमरूमध्य:** ओमान और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण संकीर्ण जलमार्ग जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, और दुनिया के पेट्रोलियम परिवहन के एक बड़े हिस्से को संभालता है।
- **गैर-राज्य अभिनेता (नॉन-स्टेट एक्टर्स):** ऐसे संगठन या सशस्त्र समूह जो महत्वपूर्ण राजनीतिक या सैन्य प्रभाव रखते हैं, लेकिन किसी संप्रभु राष्ट्र-राज्य से संबद्ध या नियंत्रित नहीं हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS), 1982:** अंतर्राष्ट्रीय जलडमरूमध्य और खुले समुद्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता, निर्दोष मार्ग (इनोसेंट पैसेज), और समुद्री क्षेत्राधिकार के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अधिकार स्थापित करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2722 (2024):** वाणिज्यिक और मर्चेंट शिपिंग पर हुथी हमलों की औपचारिक रूप से निंदा करता है और समुद्री पारगमन गलियारों में शत्रुतापूर्ण कार्यों को तुरंत रोकने की मांग करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51:** किसी संप्रभु सदस्य राज्य के खिलाफ सशस्त्र हमला होने पर व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षण के अंतर्निहित कानूनी अधिकार को अधिकृत करता है।

निष्कर्ष इस्लामिक पवित्र स्थलों और महत्वपूर्ण ऊर्जा चोक पॉइंट के आसपास लक्षित सुरक्षा बढ़ाव पश्चिम एशियाई स्थिरता की नाजुकता को रेखांकित करता है। बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के माध्यम से निर्बाध नेविगेशन सुनिश्चित करना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारत के हितों पर पश्चिम एशियाई अस्थिरता का प्रभाव, क्षेत्रीय भू-राजनीति, भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा, और ऊर्जा सुरक्षा।
- **प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र (Prelims Focus):** बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य, लाल सागर, होर्मुज जलडमरूमध्य की भू-राजनीति और मानचित्रण, पारगमन मार्ग पर UNCLOS के प्रावधान, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव।

9. कन्नड़ फिल्म कलाकार अनंत नाग को दादा साहेब फाल्के सम्मान

मुख्य अंश और सारांश

- **सर्वोच्च सिनेमाई मान्यता:** दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय फिल्म संस्कृति में उनके पांच दशक के योगदान के लिए 2024 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार (सिनेमा में भारत का सर्वोच्च सम्मान) के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है।
- **प्रस्तुति स्थल:** आधिकारिक सम्मान गुजरात के केवड़िया में आयोजित होने वाले 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा।
- **कन्नड़ सिनेमा के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर:** अनंत नाग 1995 में डॉ. राजकुमार के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले केवल दूसरे कन्नड़ फिल्म अभिनेता बन गए हैं (छायाकार वी.के. मूर्ति को 2008 में हिंदी सिनेमा के लिए यह मिला था)।
- **बहुमुखी करियर:** कन्नड़ फिल्म *संकल्प* (1973) के साथ अपनी शुरुआत करने के बाद, उनकी फिल्मोग्राफी कन्नड़, हिंदी, मराठी, कोंकणी, मलयालम और तेलुगु में 300 से अधिक फिल्मों तक फैली हुई है, साथ ही इसमें समानांतर सिनेमा (पैरेलल सिनेमा) और *मालगुडी डेज़* जैसे टेलीविजन क्लासिक्स भी शामिल हैं।
- **लगातार राष्ट्रीय सम्मान:** यह प्रतिष्ठा नाग को 2025 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान **पद्म भूषण** से सम्मानित किए जाने के तुरंत बाद मिली है।

- **लोक सेवा रिकॉर्ड:** सिनेमा से परे, नाग ने कर्नाटक विधान परिषद (1988-1994), विधानसभा (1994-1999) के सदस्य और बेंगलोर शहर विकास राज्य मंत्री के रूप में सार्वजनिक शासन में योगदान दिया।

आवश्यक परिभाषाएं

- **दादा साहेब फाल्के पुरस्कार:** सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, जो भारतीय सिनेमा के विकास और प्रगति में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- **समानांतर सिनेमा (पैरेलल सिनेमा):** भारतीय सिनेमा में एक विशिष्ट फिल्म आंदोलन, जो 1940 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुआ, जिसे यथार्थवादी सामाजिक-राजनीतिक विषयों, आर्ट-हाउस सौंदर्यशास्त्र और मुख्यधारा के व्यावसायिक मेलोड्रामा की अस्वीकृति द्वारा पहचाना जाता है।
- **स्वर्ण कमल:** राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार योजना के तहत प्रदान किया जाने वाला पदक का सर्वोच्च वर्ग, जो दादा साहेब फाल्के ट्रॉफी के साथ एक शॉल और नकद पुरस्कार के रूप में दिया जाता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **कार्यकारी प्रशासन:** सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक कार्यकारी कार्यालय, फिल्म समारोह निदेशालय के तत्वावधान में आयोजित और प्रशासित।
- **संविधान का अनुच्छेद 18(1):** यह स्पष्ट करता है कि राज्य द्वारा प्रदत्त पुरस्कार और सम्मान (जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म सम्मान) अनुच्छेद 18 के तहत कुलीन उपाधियों का निर्माण नहीं करते हैं।
- **संघ सूची प्रविष्टि 60 (सातवीं अनुसूची):** प्रदर्शन और राष्ट्रीय मीडिया नीति के लिए सिनेमेटोग्राफ फिल्मों को मंजूरी देने पर संसद को विशेष विधायी क्षेत्राधिकार प्रदान करती है।

निष्कर्ष अनंत नाग को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाना क्षेत्रीय भाषा के अभिनय कला और समानांतर सिनेमा की स्थायी विरासत को उजागर करता है। मुख्यधारा की क्षेत्रीय सीमाओं से परे बहुमुखी अभिनेताओं को ऊपर उठाना भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक एकता और कलात्मक विविधता को मजबूत करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर I (कला एवं संस्कृति):** भारतीय सिनेमा, प्रदर्शन कलाएं, समानांतर सिनेमा आंदोलन का विकास, और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संस्थान।
- **प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र (Prelims Focus):** दादा साहेब फाल्के का इतिहास और पृष्ठभूमि (1913 राजा हरिश्चंद्र), पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी (1969), प्रशासनिक निकाय (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय), और पुरस्कार के घटक।

10. सीमाओं से परे राष्ट्रवाद: निष्ठा का प्रश्न

मुख्य अंश और सारांश

- **प्रवासी निष्ठा को पुनर्परिभाषित करना:** लंदन में एक वैश्विक आउटरीच कार्यक्रम के दौरान, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि एक नागरिक की मौलिक राजनीतिक निष्ठा उसकी जन्मभूमि या पुण्यभूमि (जन्मस्थान या पवित्र भूमि) के बजाय उसकी **कर्मभूमि** (कार्य/अपनाने की भूमि) के प्रति होती है।
- **दोहरी पहचान का सामंजस्य:** यह बयान बढ़ते वैश्विक मूलनिवासीवाद (नेativism) के बीच अपनी अपनाई गई पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति राजनीतिक निष्ठा के साथ सांस्कृतिक विरासत को संतुलित करने वाले विदेशी भारतीय प्रवासी समुदायों की दुविधा को संबोधित करता है।
- **राष्ट्रवाद के प्रकारों का द्विभाजन:** यह चर्चा क्षेत्रीय राष्ट्रवाद (भौतिक भौगोलिक सीमाओं द्वारा परिभाषित नागरिकता) और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (साझा सांस्कृतिक या सभ्यतागत पहचान द्वारा परिभाषित राष्ट्रत्व) के बीच वैचारिक घर्षण को उजागर करती है।
- **निष्ठा की ऐतिहासिक रूपरेखा:** वी.डी. सावरकर द्वारा मूलभूत हिंदुत्व दर्शन ने ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय निष्ठा को भारत को **पितृभूमि** (पिता की भूमि) और **पुण्यभूमि** (पवित्र भूमि) दोनों मानने से जोड़ा, जिससे गैर-हिंदू अल्पसंख्यकों के संबंध में वैचारिक घर्षण पैदा हुआ।
- **नेहरूवादी प्रवासी नीति के साथ संरेखण:** भागवत का यह तर्क कि विदेशी नागरिकों को अपने मेजबान राष्ट्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रवासी एकीकरण के संबंध में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्थापित भारत के दीर्घकालिक राजनयिक सिद्धांत के साथ संरेखित है।
- **समान आवेदन का आह्वान:** टिप्पणी का तर्क है कि आस्था परंपरा के बजाय निवास के आधार पर निष्ठा का मूल्यांकन घरेलू भारतीय शासन (लखनऊ) के भीतर ठीक उसी तरह समान रूप से लागू होना चाहिए जैसा कि विदेशों में (लंदन) होता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **क्षेत्रीय राष्ट्रवाद (Territorial Nationalism):** नागरिक राष्ट्रवाद का एक नागरिक रूप जो यह मानता है कि एक राजनीतिक राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी व्यक्ति धर्म, भाषा या जातीयता से परे, राष्ट्र का निर्माण करते हैं।
- **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (Cultural Nationalism):** राष्ट्रवाद का एक रूप जहां राष्ट्र को एक साझा संस्कृति, सभ्यतागत परंपरा या विरासत द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो संप्रभु भौगोलिक सीमाओं से परे जाता है।
- **जन्मभूमि बनाम कर्मभूमि:** संस्कृत अवधारणात्मक शब्द जो किसी के जन्म की भूमि (जन्मभूमि) बनाम उस भूमि को दर्शाते हैं जहाँ कोई रहता है, काम करता है, और नागरिक कर्तव्यों को पूरा करता है (कर्मभूमि)।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान के अनुच्छेद 5 से 11:** धार्मिक पृष्ठभूमि से परे एक एकल, एकीकृत नागरिक राष्ट्रीयता की स्थापना करते हुए, भारतीय नागरिकता को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे का विवरण देते हैं।
- **नागरिकता अधिनियम, 1955 (धारा 9):** किसी अन्य संप्रभु राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता की स्वचालित समाप्ति का निर्धारण करते हुए, सख्त एकल नागरिकता लागू करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 51A(a):** प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए एक मौलिक कर्तव्य अनिवार्य करता है।

निष्कर्ष बदलते वैश्विक प्रवासन पैटर्न सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक निष्ठा के बीच एक स्पष्ट अंतर की आवश्यकता पैदा करते हैं। नागरिक नागरिकता सिद्धांतों को समान रूप से लागू करना, जहां निष्ठा को आस्था परंपरा के बजाय संवैधानिक अनुपालन द्वारा परिभाषित किया जाता है, घरेलू सामंजस्य और वैश्विक राजनयिक जुड़ाव के लिए आवश्यक बना हुआ है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर I (समाजशास्त्र एवं इतिहास):** धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, और सामाजिक अधिकारिता; भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम की अवधारणाएं।
- **GS पेपर II (राज्यव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** नागरिकता पर संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 5-11), अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारतीय प्रवासियों की भूमिका, और नागरिक बनाम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के राजनीतिक सिद्धांत।

11. ईयू प्रमुख ने यूरोपीय सुरक्षा परिषद की वकालत की; कनाडा के प्रवेश के लिए तैयार

मुख्य अंश और सारांश

- **यूरोपीय सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव:** यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने यूरोपीय संघ (EU), ब्रिटेन, नॉर्वे, यूक्रेन और कनाडा के नेतृत्व को एकीकृत करने के लिए एक यूरोपीय सुरक्षा परिषद की स्थापना का समर्थन किया।
- **काउंटर-हाइब्रिड युद्ध रणनीति:** उन्होंने एक समर्पित "काउंटर-हाइब्रिड प्लेबुक" और एक "आपातकालीन सुरक्षा प्रोटोकॉल" का आह्वान किया, जिसे कोई भी ईयू सदस्य देश सब-थ्रेसहोल्ड आक्रामकता जैसे तोड़फोड़, आगजनी, और ड्रोन घुसपैठ के खिलाफ प्रतिक्रियाओं को समन्वित करने के लिए ट्रिगर कर सकता है।
- **भू-राजनीतिक स्वायत्तता की ओर कदम:** यह प्रस्ताव अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो (NATO) गठबंधन ढांचे पर दीर्घकालिक निर्भरता के आसपास बढ़ती आशंकाओं के बीच महाद्वीपीय रक्षा के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी संभालने के यूरोप के व्यापक प्रयास को दर्शाता है।
- **गैर-ईयू सहयोगियों का समावेश:** यह ढांचा स्पष्ट रूप से गैर-ईयू भागीदारों के लिए द्वार खोलता है, जो पोस्ट-ब्रेक्जिट ब्रिटेन और नॉर्वे के साथ-साथ ब्लॉक के सुरक्षा तंत्र के भीतर कनाडा को संभावित "एसोसिएट सदस्यता" प्रदान करता है।
- **बदलते सुरक्षा खतरे:** यह पहल पूरे महाद्वीप में बढ़ती ग्रे-जोन घटनाओं का जवाब देती है, जैसे जर्मनी में लीपज़िग हवाई अड्डे जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा सुविधाओं पर संदिग्ध राज्य-प्रायोजित ड्रोन हमले।
- **संस्थागत अनुकूलनशीलता:** वॉन डेर लेयेन ने जोर देकर कहा कि मौजूदा यूरोपीय सुरक्षा सिद्धांत और संस्थागत निर्णय लेने के तंत्र आधुनिक हाइब्रिड सुरक्षा वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहे हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **यूरोपीय सुरक्षा परिषद:** ईयू सदस्य देशों और गैर-ईयू लोकतांत्रिक सहयोगियों के बीच महाद्वीपीय रक्षा नीतियों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित बहुपक्षीय सुरक्षा समन्वय तंत्र।

- **हाइब्रिड युद्ध (Hybrid Warfare):** गैर-सैन्य, गुप्त साधनों जैसे साइबर हमलों, तोड़फोड़, विदेशी हस्तक्षेप और आर्थिक दबाव के साथ पारंपरिक सैन्य रणनीति को मिलाने वाली एक सैन्य रणनीति।
- **ग्रे-जोन आक्रामकता (Grey-Zone Aggression):** राज्य या गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा संचालित शत्रुतापूर्ण परिचालन गतिविधियां जो खुले युद्ध को ट्रिगर करने से बचने के लिए जानबूझकर सशस्त्र संघर्ष की पारंपरिक सीमा से नीचे रहती हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **यूरोपीय संघ संधि (TEU) का अनुच्छेद 42(7):** आपसी सहायता खंड जो ईयू सदस्य राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य करता है यदि कोई सदस्य राज्य अपने क्षेत्र में सशस्त्र आक्रामकता का शिकार होता है।
- **यूरोपीय संघ के कामकाज पर संधि (TFEU) का अनुच्छेद 222:** एकजुटता खंड जो संघ और उसके सदस्य देशों को आतंकवादी खतरों को रोकने या प्राकृतिक/मानव निर्मित आपदाओं का जवाब देने में संयुक्त रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है।
- **सामान्य सुरक्षा और रक्षा नीति (CSDP):** ईयू की सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति (CFSP) के तहत परिचालन ढांचा जो यूरोपीय रक्षा एकीकरण और नागरिक-सैन्य संकट प्रबंधन के लिए संरचना प्रदान करता है।

निष्कर्ष प्रस्तावित यूरोपीय सुरक्षा परिषद और काउंटर-हाइब्रिड प्लेबुक यूरोपीय रणनीतिक स्वायत्तता की ओर एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाते हैं। गैर-ईयू सहयोगियों को शामिल करके, यह ढांचा गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों को प्रबंधित करने के लिए सुसज्जित एक लचीला रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** प्रमुख शक्तियों को शामिल करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वास्तुकला में रणनीतिक स्वायत्तता; शीत युद्ध के बाद के रक्षा गठबंधनों का विकास।
- **GS पेपर III (आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा):** साइबर सुरक्षा खतरे, हाइब्रिड युद्ध रणनीतियां, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, और गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां।

12. भारत के E20 पुश से परे क्या है

मुख्य अंश और सारांश

- **E20 संरचना और लॉन्च:** E20 पेट्रोल में 20% निर्जल एथेनॉल (Anhydrous Ethanol) और 80% मोटर गैसोलीन शामिल है, जिसे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए फरवरी 2023 से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा शुरू किया गया था।
- **ईंधन अर्थव्यवस्था का नुकसान:** ARAI, SIAM और IOCL द्वारा संयुक्त अध्ययनों से पुष्टि होती है कि E20 वाहन श्रेणी और विंटेज के आधार पर ईंधन माइलेज को 2% से 6% तक कम कर देता है, जिसमें अप्रयुक्त पुराने वाहनों को अधिक नुकसान उठाना पड़ता है।

- **आर्थिक लागत का बोझ:** कम माइलेज वाहनों को प्रति किलोमीटर अधिक ईंधन जलाने के लिए मजबूर करता है, जिससे तीन वर्षों में भारतीय परिवारों पर अनुमानित ₹88,234 करोड़ का अतिरिक्त संचयी वित्तीय बोझ पड़ता है।
- **उत्सर्जन सीमाएँ:** शुद्ध कार्बन उत्सर्जन केवल तभी गिरता है जब माइलेज का नुकसान 4% से नीचे रहता है; 4% और 6% के बीच माइलेज का नुकसान पुराने लीगेसी इंजनों में तय की गई दूरी के आधार पर उच्च कुल उत्सर्जन की ओर ले जाता है।
- **व्यापार और विदेशी मुद्रा विचलन:** गन्ने और मक्के जैसी फसलों को एथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ने से चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा और मक्के का आयात बढ़ा, जिससे कच्चे तेल की लक्षित विदेशी मुद्रा बचत आंशिक रूप से प्रभावित हुई।
- **नीतिगत विकल्प:** उद्योग विशेषज्ञ उपभोक्ताओं को E10 और E20 सम्मिश्रण के बीच विकल्प देने, प्रति-चक्रीय (काउंटर-साइक्लिकल) अप्रत्यक्ष कर समायोजन का उपयोग करने, और सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की वकालत करते हैं।

BOX 1: Emissions calculations for 15 kms travelled by an average Indian car

	E10	E20
Emissions*	2.32 KgCO ₂ /ltr	2.23 KgCO ₂ /ltr
WITH 6% LOSS OF MILEAGE		
Petrol needed	1 ltr	1.06 ltr
Emissions	2.32 KgCO ₂ (A)	2.23 x 1.06 = 2.37 KgCO ₂ (B)
Excess Emissions if using E20		0.05 KgCO ₂ (B-A) = 50 gCO₂

***Note:** 1. Emissions data has been taken from the Federal Register EPA, which reports E10 emissions to be 8.78 kgCO₂/gallon and pure ethanol's 5.75 kgCO₂/gallon. 1 gallon = 3.79 ltr

2. We calculate the implicit emissions from 100% gasoline, which is 9.12 KgCO₂/gallon, and use that to generate E20 emissions.

आवश्यक परिभाषाएं

- **E20 ईंधन सम्मिश्रण:** एक मानकीकृत ऑटोमोटिव ईंधन मिश्रण जिसमें 20% बायोएथेनॉल और 80% पारंपरिक सीसा रहित (अनलेडेड) पेट्रोल शामिल है।
- **निर्जल एथेनॉल (Anhydrous Ethanol):** अत्यधिक परिष्कृत एथिल अल्कोहल जिसमें 1% से कम पानी होता है, जिसे विशेष रूप से जीवाश्म आधारित मोटर गैसोलीन के साथ सम्मिश्रण के लिए संसाधित किया जाता है।
- **प्रति-चक्रीय कर नीति (Countercyclical Tax Policy):** घरेलू उपभोक्ताओं को मुद्रास्फीति के दबाव से बचाने के लिए कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के दौरान ईंधन पर अप्रत्यक्ष करों या उपकरों को कम करने की एक राजकोषीय रणनीति।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति (2018):** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत 2025-26 तक पूरे भारत में पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित करने वाला वैधानिक नीतिगत ढांचा।
- **मोटर वाहन अधिनियम, 1988:** उत्सर्जन मानक और ईंधन-वाहन अनुकूलता विनिर्देश स्थापित करने के लिए ARAI जैसे नियामक निकायों को वैधानिक आधार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 246 सहपठित संघ सूची की प्रविष्टि 53:** संसद को पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों, और खतरनाक रूप से ज्वलनशील घोषित अन्य तरल पदार्थों पर विशेष विधायी अधिकार प्रदान करता है।

निष्कर्ष यद्यपि भारत के E20 सम्मिश्रण जनादेश का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है, माइलेज में गिरावट और फसल विचलन उपभोक्ता लागत, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन और कृषि व्यापार संतुलन के लिए समझौते (ट्रेड-ऑफ) पैदा करते हैं। लचीले ईंधन विकल्पों की पेशकश के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन विस्तार को शामिल करने वाला एक संतुलित दृष्टिकोण टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तनों के लिए महत्वपूर्ण है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III (अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण):** ऊर्जा सुरक्षा, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (EBP), बायोफ्यूल्स पॉलिसी 2018, कृषि फसल विविधीकरण, भोजन बनाम ईंधन सुरक्षा ट्रेड-ऑफ, और वायु प्रदूषण शमन।
- **प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र (Prelims Focus):** E20 संरचना, ARAI/SIAM की भूमिका, एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चा माल (गन्ना, मक्का, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न), और ईंधन अर्थव्यवस्था के सिद्धांत।

